आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत
मैनुअल–1

A- Organisation of the Assistant Commissioner

Subject to the general control and direction of the Excise Commissioner, the administration of the Excise Department in a district is under the charge of the collector of the district. Whole time departmental officer of the rank of Assistant Excise Commissioner is posted as in charge of a district who is responsible for the excise administration of the district in subordination of the Collector. He is also responsible for

the enforcement of Excise law and rules. He has to supervise the investigation and prosecution of the excise cases. For keeping effective control over licensed vendors he is required to inspect excise shops, bonded warehouses bonded and non bonded pharmacies, sugar factories, distilleries, breweries. He keeps watch over the progress of the work of the staff under him by inspecting their work. He is in charge of the District Excise Office and is personally responsible for the work of the clerical staff posted to it.

A district is divided into excise circles, each under an Excise Inspector. Excise Inspector are posted for the supervision of shops and prevention and prosecution of excise, narcotics and miscellaneous offences with which the department has to deal with. An Excise inspector entrusted with preventive work is required into the nature and extent of all suspected evasion of law. He is not directly concerned with the collection of excise revenue but it is his duty to watch the sale of intoxicants and the revenue collections and bring to the notice of he Collector and his Assistant Excise Commissioner, any neglect of orders or accumulation of arrears. The crimes detected by an Excise Inspector are dealt with by regular law court of the district. Excise Inspector is assisted by head Constable/Constables in each circle.

There are four circle in the district.

1- Circle-1, Rudrapur City.
2- Circle-2, Khatima.
3- Circle-3, Kashipur.
4- Circle-4, Bajpur.

Excise Inspector are also posted in different districts of the state to perform the following duties with assistance of clerk and constables:-

1) **Distilleries –** For the proper manufacture of potable, commercial and industrial alcohol and storage and issues in accordance with rules with rules, when in charge of a distillery it is the duty of Excise Inspector to see that Excise duty on all spirit has been correctly paid before it is issued or in the case of issues under bond that the amount of duty livable is covered by th bond. He is should see that the prescribed accounts are regularly kept.

2) **Bonded Warehoused:-** When in charge of a bonded warehouse of Excise Inspector first duty is to see that duty on all spirits and drugs (in case of bonded pharmacy) has been correctly paid before they are issued. He should also control gauging, storage and issue of sprit so that the prescribed accounts are regularly kept up and readily enforce all precautions and measures.

3) **Bottling Plants:-** Excise Inspectors are also posted in such plants issued under U.P. Manufactory Rules 1997 for supervision of manufacture of IMFL and its bottling and sale after due deposit of bottling fees and excise duties.

4) **Check Posts:-** There are 5 check posts sanctioned at interstate border of the State to prevent smuggling and illicit trafficking of intoxicants, narcotics molasses and sporots. On each check post on Excise Inspector with subordinate staff is posted.

5) **CSD Depot:-** Such depots are licensed under Excise rules for supplying and sale to the Military Unit Canteens after due payment of license foe and Excise duty. To supervise and control such depots Excise Inspector are posted. At present two depot is situated in U.S.Nagar.

6) Prohibition circles, they are posted for detection and prosecution of excise and narcotics offences.

7) **Sugar Factories:-** Sub-Inspector of excise are posted to sugar factories for proper supervision over the storage and distribution of molasses produced therein and for the enforcement of the provision of the U.P. Sheera Niyantran Adhiniyam-1964 and rules there under. The lowest functionary of the department is excise Head Constable/Constable who helps and Excise Inspector in his preventive and detective

work and prosecution work, in the duties in distilleries, breweries, bonded warehouses, bonded manufactories and in other miscellaneous jobs. Excise constable also perform executive duties in making searches and arrests under the provision of excise laws, in case where infringement of excise laws are apprehended.

8) The details of the sanctioned posted in the Department before and after the creation of Uttaranchal State from time to time and the details of working strength and vacant posts are follows:-

कम सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	नियुक्त	रिक्त पद	अन्य संविदा पर		
					स्वीकृत	कार्यरत	योग
1.	सहायक आबकारी आयुक्त जनपद	1	1	-	-	-	-
2.	आबकारी निरीक्षक	11	7	4	-	-	-
3.	उप आबकारी निरीक्षक	6	9	-	-	-	-
4.	सहायक लेखाकार	1	-	1	-	-	-
5.	कनिष्ठ लिपिक	5	2	3	-	-	-
6.	प्रधान आबकारी सिपाही	5	2	3	-	-	-
7.	आबकारी सिपाही	32	13	19	10	4	6
8.	वाहन चालक	1	संविदा	-	-	1	-
9.	टनुसेवक	2	2	-	-	-	-
	योग :–	**64**	**36**	**30**	**10**	**5**	**6**

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत

मैनुअल–2

आबकारी विभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियम एवं उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों उपनियमों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं :–

1. उत्तर प्रदे ा आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तरांचल में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) यथा सं ोधित एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावलिया।

2- उत्तर प्रदे ा भीरा नियन्त्रण अधिनियम 1964 (उत्तरॉचल मे यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित) एवं भीरा नियंन्त्रण नियमावली 1974 (उत्तरॉचल मे यथाकूलित एवं उपान्तरित)

3- नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं उत्तर प्रदे ा नारेकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिया सब्सटेन्सेज नियमावली 1986(उत्तरॉचल मे यथाकूलित एवं उपान्तरित)

4- अफीम धुम्रपान अधिनियम 1934 एवं एमदविशयक नियमावली (उत्तरॉचल मे यथाकूलित एवं उपान्तरित)

5- मैडिसिनल एण्ड टायलेट प्रिपरे ान (एक्साईज डयूटी) एक्ट 1955 एवं एतद्विशयक नियमावली 1957 (उत्तरॉचल मे यथाकूलित एवं उपान्तरित)

6- हस्प्रचुअस प्रिपरे ान्स (इण्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल एक्ट 1955 एवं एतद्विशयक नियमावली 1956 (उत्तरॉचल मे यथाकूलित एवं उपान्तरित)

7- उत्तर प्रदे ा मादक वस्तु (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1976 एवं एत्विशयक नियमावली (उत्तरॉचल मे यथाकूलित एवं उपान्तरित)

8- प्वाईज एक्ट 1919 एवं तत्स सम्बनधी यू0पी0 प्वाईजन्स (रेगुले ान ऑफ पजे ान एण्ड सेल) रुल्स 1921 सथासं ोधित नियता वली 1989 एवं यथा सं ोधित नियमावली 1994 (उत्तरॉचल मे यथा लागू)के अन्तर्गत मिथाईल अल्कोहल के दुरुपयोग के निवारण हेतु

9- मोटर स्प्रिट डीजल ऑयल अल्कोहल कराधान अधिनियम 1939 एवं एतद्विशयक नियामावली 1977

उपरोक्त अधिनियमो एवं नियमावलियो के अन्तगर्त आबकारी आयूक्त के अधीन रहते हुए विभाग के अधिकारियो (एसिस्टेण्ट कमिशनर एक्साईज इन्सपेक्टर एक्साईज सब इन्सपेक्टर प्रधान आबकारी सिपाही) के विभिन्न धाराओ एवं नियमो के अन्तगर्त अधिकार एवं दायित्व निधारित किऐ गये है, जिनका विवरण संलग्न है–

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत
मैनुअल–3

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम/विनियम,अनुदेश, निदेर्शिका और अभिलेखों की सूचना का विवरण–

विभाग में उपररोक्त कृत्यों के निशपादन हेतु निम्नलिखित अधिनियम/मैनुअल उपलब्ध है, जिनका उत्तरांचल में उपान्तरण एवं अनुकूलन किया जा चुका हैः–

1. एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम–1ः– जिसमें यूनाईटेड प्रोविन्स एक्साईज एक्ट 1910 (यथा अनुकूलित एवं यथा उपान्तरित) एवं एतद् विशयक नियमावलियां/उपनियम/आदेश अनुदेश संकलित हैं।

2. एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम–2, जिसमें विभाग में विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों का समावेश है।

3. एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम–3, जिसमें भीरा अधिनियम 1964 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) एवं नियमावली 1974 (यथा अनुकूलित एवं यथा उपान्तरित), ओपियम स्मोकिंग एक्ट 1934 एवं नियमावली, नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेस एक्ट 1985 एवं नियमावली 1986 समावेशित की गयी है।

4. एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम–4 (यथा अनुकूलित एवं यथा उपान्तरित), जिसमें मेडिसिनल एण्ड टॉयलेट प्रीपरेशन्स (एक्साइज) डियूटी एक्ट 1955 एवं एतद् विशयक नियमावली 1956 एवं स्प्रिचुअस प्रीपरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल) एक्ट 1995 एवं एतद् विशयक नियमावली को समावेशित किया गया है।

5. एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम–5 (यथा अनुकूलित एवं यथा उपान्तरित), जिसमें आसवनियों, चीनी मिलों आदि के सम्बन्ध में तकनीकी प्रक्रियाओं/जानकारियों को समावेशित किया गया है।

6. एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम–6 (यथा अनुकूलित एवं यथा उपान्तरित), जिसमें विभिन्न विभागीय सेवा नियावलियां यथा ग्रुप–ए (अधिकारों) सेवा नियमावली, सहायक आबकारी आयुक्त, सेवा नियमावली, आबकारी अधीनस्थ सेवा नियमावली व अन्य संवर्गो की सेवा नियमावलियां समावेशित की गयी है। (क्रमांक–1 व क्रमांक–3 पर अंकित मैनुअलों को उत्तरांचल के लिए संशोधनों को समाहित करते हुए श्री वी.वी. शर्मा, उप आबकारी आयुक्त

(सेवानिवृत्त) द्वारा तैयार किये गये विभागीय मैनुअलों की पाडुलिपियां पाप्त की गई है, जिसके अनुमोदन के पश्चात राजकीय मुद्रणालय से प्रकाशित किया जाना सम्भव होगा)

7. इसके अतिरिक्त शासकीय आदेशों का संकलन (एम.जी.ओ.), वित्तीय हस्त पुस्तिकाएं, उत्तरांचल में प्रख्यापित सेवा नियमावलियां आदि उपलब्ध हैं।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रति उपलब्ध हैं।

9. उक्त अधिनियम के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तरांचल भाासन द्वारा निर्गत आदे ा दि0 27. 06.2005, उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सचिव कार्मिक एवं लोक ि ाकायत एवं पेन् ान मंत्रालय, भारत सरकार के आदे ा संख्या दि0 26.05.2005 एवं उसके साथ संलग्न सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के मुख्य—मुख्य बिन्दुओं का सार एवं उक्त अधिनियम के अनुपालानार्थ तैयार किये जाने वाले कार्यकलापों की सूचना, जिसमें विभिन्न मैनुअलों को तैयार किया जाना, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारियों का चिन्हिकरण किया जाना एवं अन्य सूचनाएं दी गयी है, उपलब्ध है।

10. उपरोक्तानुसार मैनुअल्स को तैयार किया जा रहा है, जिनकी प्रतियां सुरक्षित रखते हुए सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध करायी जायेंगी।

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत
मैनुअल–4

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से पराम र्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यवस्था–

विभाग द्वारा आबकारी नीति/ शीरा नीति के निरूपण के पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है:–

1) फील्ड स्तर से विभागीय अधिकारियों, जो वास्तव में भाासन की नीतियों के आधार पर अधिनियम, नियमावलियों, आदे शों का कियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी हैं और जनता के मध्य कार्य करते है, के द्वारा स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों से पराम र्श उपरान्त नीतियों के निर्धारण के पूर्व उनके सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।
2) आबकारी विभाग के अनुज्ञापियों, जिनके माध्यम से राजस्व अर्जन किया जाता है, से भी समय–समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा फील्ड स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर बैठक आयोहित कर उनके सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।
3) इस प्रकार फील्ड स्तर से प्राप्त सुझावों की समुचित समीक्षा उपरान्त विभाग द्वारा भाासन को नीति निर्धारण के सम्बन्ध में समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं।
4) भाासन द्धारा विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रस्तावो को सम्यक परीक्षापरान्त नीति निर्धारण विशयक प्रस्ताव मा0 मंत्रिपरीशद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं और मा0 मंत्रिपरिशद के अनुमोदनोपरान्त विभागी आबकारी भीरा व अन्य विशयो पर नितियो को निर्धारण किया जाता हैं।
5) नीति निर्धारण के लिऐ विभाग द्वारा प्रवर्तित विभिन्न नियमो एवं अधिनियमो मे लाईसेसिग बोर्ड एडवाईजरी बोर्ड आदि की व्यवस्था पूर्व से ही प्राविधानित है जिनके अर्न्तगत अनुज्ञापनो से स्वीकृतो किये जाने से पूर्व विचार – विम र्श किया जाता है ।

1) उत्तर प्रदे श नम्बर एण्ड लोके शन आफ एक्साईज भॉप रुल्स के नियमो –5 मे दिये गये प्राविधानो के अर्न्तगत आबकारी दुकानो के स्थलो के चयन के समय मिलिट्री कनटोनमेण्ट बोर्ड एवं नगरीय क्षेत्र मे नगरमहापालिका टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया एवं ग्रमीण क्षेत्र मे जिला परिशद से विचार–विम र्श किया जाता है और प्राप्त आपत्तियो पर सम्यक विचारोपरान्त आबकारी दुकानो का चयन किया जाता है इसी प्रकार रेलवे स्टे शन के निकट खोले जाने वाली आबकारी दुकानो के सम्बन्ध मे रेलवे प्र शासन से भी विचार विम र्श कर निर्णय लिया जाता है।

(2) आसवनियो ब्रिवरीज आदि के अनुज्ञापनो की स्वीकृति के समय उनसे उत्पन होने वाले प्रदुशण के सम्बन्ध मे स्थनीय जनता से प्रदूशण बोर्ड के माध्यम से विचार –विम ा के प्श्चात ही आसवनी ब्रिवरी स्थापना के अनुज्ञापनो के स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जाता है

(3) आबकारी अधिनियम की धारा 56 के अर्न्तगत अन्य विभाग यथा पुलिस सॉल्ट ओ0पी0एम0 तथा भूराजस्व विभाग के अधिकारीयो को भी आबकारी अधिनियम के अर्न्तगत होने वाले अपराधो की तत्काल सूचना आबकारी विभाग के अधिकारीयो को देने का दायित्व निधार्रित है

(4) आबकारी अधिनियम की धारा 57 केअर्न्तगत प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो भूमि एवं भवन के स्वामी हैं लेखापलको एवं गांव के चोकीदार है को उनको स्थानो पर आबकारी अपराधो के होने से तम्काल आबकारी पुलिस एवं भू–राजस्व के सक्षम अधिकारियो को अपराधों की सूचना देने एवं एसके निवारण के दायित्व निर्धारित किये गये है

(5) किसी क्षेत्रा मे जन भाान्ति को बनाऐ रखने के लिऐ जिलाधिकारी को अधिनियम की धारा 59 के अर्न्तगत किसी भी आबकारी दुकान को बन्द रखने का अधिकार प्रदत्त है

(6) जनता की भावनाओ को दृश्टिगत रखते हुए मादक द्रव्यो क आपत्तिजनक विज्ञापनो को सिनेमाटोग्रफिक प्रद ार्न लोक स्थानो पर दीवारो पर भवनो पर विज्ञापनो के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश इन्टॉक्सिकेन्ट लीकर (Objection Advertisment) एक्ट 1976 (उत्तरॉचल मे यथा अनुकूलित)प्रभावी है

(7) होटल एवं बार अनुज्ञापनो के स्वीकृति के समय भी असकी जनहित मे उपयोकगता को दृश्टि गत रखते हुए अनय विभागीय यथा पुलिस द्वारा लोक भाान्ति के सम्बन्ध मे पर्यटन विभाग से प्र्यटन की संभावनाओ के सम्बन्ध मे विचार विम ा एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते है

(8) भाीरा अधिनियम के अर्न्तगत भाीरा एडवाइजरी कमेटी नियमावली 1965 (यथा ां ाोधित) प्रख्यापित है जिसमे एडवाईजरी कमेटी के गठन के प्राविधाना है लिनमे भाीरा नियंत्रक के साथ–साथ उद्यौग निर्दे ाालय गनना विभाग चीनी मिलो – आसवनियो का प्रतिनिधित्व यथा एल्कोहल के अपभोग करने वाली इकाइयो का प्रतिनिधित्व मोल्डिग एण्ड फाउन्डी उद्यौग को प्रतिनिधित्व आदि को नामित किये जाने के प्रविधान है जिसके अर्न्तगत समिति विभिन्न स्तरो से प्राप्त सुझावो पर समयक विचारोपरान्त राज्य सरकार को उपलब्ध कराती है और नीति निर्धारण मे सहायक होती है

(9) मेडिसन एवं टायलेट प्रिपरे ान एक्साइज डयूटीज नियमावली 1956 नियम 68 मे स्टंडिग कमेटी के गठन का प्राविधान है जिसमे भारत सरकार के ड्रग कन्ट्रोल सेन्ट्रल रिवेन्यु कन्टोल लेबोरेटरी के चीफ कैमिस्ट भारत सरकार के द्वारा निर्मित एक फार्मोकोलोजिस्ट तथा विभिन्न औशधि पद्धतियो यथा एलोपैथिक होमो पैथिक तिब्बती यूनानी आयूर्वेद के भारत सरकार की स्वास्थ्य परिवार कल्याण निर्दे ालय के द्वारा नामित एडवाइजर्स सदस्य के रुप मे कार्य करते है इस समिति का मुख्य कार्य औशधियो का प्रतिबन्धन (Restricted Non Resrichted) का वर्गीकरण किया जाना है।

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत

मैनुअल–5

(दस्तावेजों जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है प्रवर्गो के अनुसार विवरण)
(A Statement of the categories of documents that are held by it or under its control)

(अ) मुख्यालय मे प्राय निम्न प्रकार के अभिलेख रखे जाते है–

1. दिन प्रतिदिन प्रारम्भ होने वाले अभिलेख (फाईल, पंजी, कम्प्यूटर पर उपलब्ध अभिलेख, गार्ड फाईल, कार्य विवरण चार्ट)
2. अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेख

प्रथम श्रेणी के अभिलेख की निरन्तरता :– प्रथम श्रेणी के अभिलेख की निरन्तरता तब तक बनी रहती है, जब तक वे प्रयोग में रहते है, परन्तु द्वितीय श्रेणी के अभिलेखों का विवरण नियमों में कितने समय तक सुरक्षित रखा जायेगा का विवरण गया है। वर्तमान में कागजात पर सभी अभिलेख तैयार किये जाते है। अतः इनकी दो श्रेणियां है :–

1. स्थायी अभिलेख
2. सीमित अवधि के अभिलेख

(ब) विभाग द्वारा प्रवर्तित नियमावलियों में तत्सम्बन्धित प्रारूप/पंजिकाओं के प्रारूप, विवरण पत्रों के प्रारूप निरूपित कर प्रकाि ात किये हुए है, फिर भी विवरण पत्रों का एक संकलन आबकारी मैनुअल खण्ड–2 में उपलब्ध है, जिसके अन्तर्गत निम्न विशयों से सम्बन्धित विवरण पत्रों के प्रारूप उपलब्ध किये जा सकते है:–

1. जनरल सीरीज (General Series G-1 to G-43)
2. विभागीय सीरीज (Departmental Series D1 to D-30)
3. दे ाी मदिरा सीरीज (Country Liquore Series CL-1 to CL-23)
4. स्वीट टोडी सीरीज (Sweet Toddy Series ST-1 to ST-5)
5. बंधित गोदाम (दे ाी मदिरा) (Bounded Ware House Liquore Series BQL-1 to BWL-10)
6. विदे ाी मदिरा सीरीज (Foreigon Liquore Series FL-1 to FL-38)
7. विकृत सुरा/ विशे ा विकृत सुरा (DS/SDS FL-39 to FL-42)
8. प्राईवेट डिस्टलरी सीरीज (Private Distilleries Series PD-1 to PD-33)

9. मादक औशधियां सीरीज (Intoxicating Drug Series ID-1 to ID-26)
10. ब्रिवरी सीरीज (Breweries Series B-1 to B-18)
11. ई0आई0बी सीरीज (Excise Intelligence Bureau EIB-A to EIB-1 and EIB-1 to EIB-5)
12. अधिसूचित एक्कोहल युक्त औशधिंया सीरीज (NBP-5 to NBP-7)
13. विटनरी सीरीज (V-1 & V-2)
14. सेक्रोमेन्टल वाइन सीरीज (SW-1)
15. स्टेट मेनेजमेन्ट भॉप सीरीज (SM-1 to SM-16)
16. विश (मिथाइल अल्कोहल) नियमावली के अन्तर्गत (MA-1 to MA-9)
17. भीरा नियमावली के अन्तर्गत (MF-1 to MF-15)
18. नारकोटिक्स ड्रग रूल्स के अन्तर्गत (NDLC, NDLD, NDO-1, NDO-4, NDO-5, NDPS-1 to NDPS-6, NDO)
19. मोटर स्प्रिट डीजल ऑयल एण्ड अल्कोहल टैक्ससन रूल्स के अन्तर्गत (From A,B,C,D,F & RC)
20. एम0एड0टी0पी0 रूल्स के अन्तर्गत (AL-1 to AL-3, L-1 to L-4, B-1 to B-4, RG-1 to RG-8) VB-1, ID-1, RQ-1, AR-1 to AR-4, TP-1, DD-1, RT-1 to RT-2, BM-1 to BM-12)
21. स्प्रिचुअस प्रिपरे न्स (Interstate Trade and Commerce) कन्ट्रोल रूल्स के अन्तर्गत From A,B,C,D,E,F
22. ओपियस स्मोकिंग सीरीज के अन्तर्गत प्रपत्र A,B,C,

इसी आबकारी मैनुअल खण्ड–2 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के फार्म के अनुरक्षण एवं नश्ट कराने की अवधि भी निर्धारित की गयी हैं।

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत
मैनुअल–6

बोर्डो, परिशदों, समितियों और अन्य निकायों को विवरण, साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डो, परिशदों, समितियों और अन्य निकायों की बैंठके, जनता के लिए खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहॅुच होगी।

(A Statement of Board, Councils, Committees and other bodies consisting of two or more person constituted as its part of for the purpose of its advise, and as to whether meetings of those board concils committees and other bodies are open to the public or the mionrtes of such meetings are accessible of public.)

ऐसे बोर्डए परिशद, समिमियां और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति है, जिनका उसे भाग रूप में या इस बारें में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, कि क्या उन बोर्डो, परिशदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें, जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता तक की पहॅुच होगी, विशयक आबकारी विभाग से सम्बन्धित कार्य हेतु अथवा उससे सम्बद्व किसी प्रकार के बोर्ड परिशद, समितियां आदि गठित नही हैं।

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत

मैनुअल–7

(लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण)

(The names designation and other particulars of the information officers)

राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया जाना अपेक्षित रहा है।

कम सं0	लेक प्राधिकार इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी
1.	जिला आबकारी अधिकारी	जिला आबकारी अधिकारी, ऊधम सिंह नगर	आबकारी निरीक्षक	जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत
मैनुअल–8

(The Procedure in the decision making process, including channels of supervision and accountability)

आबकारी विभाग मे विभागीय प्र ासन नियमानुसार है–

1. जनपद स्तर परः– विभाग द्वारा प्रवर्तित अधिनियमों /नियमावलियो के प्राविधानानुसार जनपद में जिलाधिकारी ही आबकारी प्र ासन का सवोच्च अधिकारी है। जिसके सहयोगार्थ जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त के नियुक्त रहते हैं। और जिला आबकारी अधिकारी /सहायक आयुक्त के अधीन ही अपराध निरोधक क्षेत्रों, आसवानियों, औशधि निमाण ालों, ब्रानग्रेड वेयर हाउसो, चीनी मिलो व अन्य स्थानो पर प्रभारी आबकारी अधिकारी के रूप में सहायतार्थ आव यतकता आबकारी लिपिक, प्रधान आबकारी सिपाही व आबकारी सिपाही नियुक्त किये जाते हैं।

प्रत्येक आबकारी अधिकारी अपने–अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार के अनतर्गत, प्रवर्तित अधिनियमो / नियमो/ उप नियमो के प्राविधानुसार एवं आयुक्त द्वारा पारित आदे ों / अनुपालन, कियान्वयन करने के लिये उत्तदायी होता है। क्षेत्रों की विधि अनुज्ञापनो के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्व, मादक पदार्थ के उपभोग एवं इनकी राजस्व सुरक्षा हेतु प्रवर्तन कार्यवाही के दायित्वों को निवर्हन करता है।

1. आबकारी अधिनियमः– U.P Excise Act provides for the import, export, transport, sale and possession of intoxicating drugs. The world liquor has been defined in section 3(11) to mean intoxicating liquor and includes spirit of wine, spirit, wine, tari, pachwai, ber and liquids consisting of or containing alcohol also any substance which the state Govt. may by notification declare to be liquor for purpose of the Act.

The intoxicating drugs Ganja, charas and bhang as defined by the Act in section 3(12) with coming into the force the NDPS Act 1985 with effect from 14-11-85,the provisions of the U.P. excise Act relating to Ganja & charas have become unvalid because the provisions of NDPS Act relating to them being more stricquent than those contained in U.P. Excise Act. Under section 4 for excise purpose all liquors are either country liquor of foreign liquor, which are defined vide Govt. notification No.8272E\XXlll-656-79dated -20, 1980

The Act also provides for prohibition of possession, import, export transport, manufacture and sales of liquor and intoxication drugs there is no separate prohibition Act in the State

2- Import Export, Transport of Intoxicant:- Section 12 provides that an intoxicant can be imported only when the state Govt. gives permission for its import, the condition imposed by the by the state Govt. are satisfied and the duty (if any) has been paid or a bond executed for the payment, there of under section 13 export or transport is permitted only when duty (if any) livable in the intoxicant id paid or a bond executed for payment there of. Under section-15 no intoxicant, exceeding, such quantity as the state Govt. may be prescribes shall be imported or transported except under a pass, permit issued under section- 16 by the collector.

3- **Manufacture etc. of intoxicant:-** Section 17 provides that manufacture of any intoxicant, cultivation of hemp plant bottling of liquor, use or helping in possession of material stills implement and apparatus for the manufactures of an intoxicant shall not be allowed except under a licence granted by the collector. Construction and working of a distillery, Brewery or a manufactory is prohibited except under a licence granted by excise Commissioner.

Section 18 provides that no intoxicant shall be removed from a distillery, brewery or manufactory unless the duty has been paid or bond has been executed for the payment there of.

4- **Possession of Intoxicant:-** Section 20 the Act prohibits possession of any intoxicants in excess of such quantity as the State Govt. may prescible except under a permit granted by the Collector. Under this section limit of private possession are prescribed by the Govt. for intoxicants. These limits are given in Govt. Notification No. 44331 E/XIII-332-78 dated 04 May 1978 (Excise Manual Vol-I Part III)

5- **Sale of Intoxicant:-** Section 21 requires that no intoxicant shall be sold without a linence granted by the collector or Excise Commissioner as the case may be under section 22 licensed vender and their employees are prohibited form selling any liquor or intoxicant to any person under the age of 21 years.

Possession, transport, import and export of intoxicant in quantities exceeding the prescribed limit without a permit, license of pass, constitutes as offence under the Act. Employment of persons under the age of 21 years and the women in premises in which liquor or sprit in consumed by public is prohibited under Section 23 of the Act.

6- **Cancellation & Suspension of Licence:-** Licnese grated under the Act can be cancelled or suspended under Sectin 34 by the licensing autority i.e. Collector, Excise Commissioner as the case may be-

1- If fee or duty payble is not paid by license holder.
2- If the licensee has committed breach of the license or condition & terms of license.
3- If the license is connected of an offense under this Act NDPS Act. Etc.
4- If the grantee of an exclusive privilege request for cancellation.
5- If the condition of license provides for cancellation of suspension at will.

No compensation or refund is claimable for cancellation or suspension of license under this Section.

Cancellation of license for grounds other than those mentioned above can be made by the licensing Autoority on 15 days notice or without notice.

7. Framing the rules:- अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत भाासन को तथ्ज्ञा 41 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त को नियम बनाने के अधिकार प्रदत्त हैं।

8. अपराध, दण्ड भाास्तियां :– अधिनियम की धारा 60 से 69 तक विभिन्न अपराधों एवं उनके दण्डों को निर्धारित किया गया है। धारा 66 के अन्तर्गत किसी भी आबकारी अधिकारी द्वारा अपनी डियूटी को करने से इन्कार करने अथवा पीछे हटने के लिए 500 500/– रूपये का अर्थदण्ड या 3 माह की सजा का प्रावधान है। निरन्तर अपराध करने वालों के लिए (Enhanced Punishment) के भी प्रावधान है।

9. अधिकार /दायित्व :–

(अ) अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत भाासन आबकारी आयुक्त को नियुक्त करता है, जो राज्य के आबकारी प्र ाासन के लिए मुख्य नियंत्रक सर्वोच्च अधिकारी है। जनपद में आबकारी प्र ाासन का सर्वोच्च नियंत्रक जिला अधिकारी है जो कि आबकारी आयुक्त के अधीन/नियंत्रण में होता है।

भाासन अपनी समस्त अथवा जैसा भी उचित समझे अपनी भाक्तियों का प्रतिनिधित्व (केवल धाा 40 नियम बनाने की भाक्तियों को छोड़कर) कर सकता है। भाासन को यह अधिकार है कि आबकारी प्र ाासन को दृश्टिगत रखते हुए किसी भी अधिकारी/व्यक्ति को अधिकारी/ ाक्तियों को कम या समाप्त कर सकता है।

(ब) अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के आदे ों के विपरीत आबकारी आयुक्त को एवं आबकारी आयुक्त के आदे ों के विपरीत भाासन को किसी भी व्यक्ति/अनुज्ञापी को अपील करने का अधिकार प्रदत्त है।

(स) निरीक्षक के अधिकार :– आबकारी विभाग के समस्त अधिकारियों (आबकारी निरीक्षकों के अनिम्न नही) पुलिस विभाग के उप अधीक्षक व उस से ऊपर के अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों को किसी भी अनुज्ञापित परिसरों जहां मादकों का निर्माण अथवा ब्रिकी की जाती है, को धारा 48 के अन्तर्गत निरीक्षक का अधिकारी हैं।

अन्य अधिकारी या तला ी /गिरफ्तारी आदि के अधिकारों एवं दायित्वों के समबन्ध में मैनुअल 2 में विस्तार से दिया गया हैं।

(द) प्र मन के अधिकार/दायित्व :– अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त एवं आबकारी विभाग में सहायक आबकारी आयुक्त एवं इनसे वरिश्ठ विभागीय अधिकारियों को अनुज्ञापियों द्वारा धारा 64 के अन्तर्गत किये अपराधों/अनिमितताओं को प्र मन कर समाधानित किये जाने का अधिकार प्रदत्त है।

अधिनियम की धारा 74 (1.अ) के अन्तर्गत भाासन द्वारा र्निदिश्ट किये गये अधिकारियों के द्वारा अधिनियम की धारा 60 (1) धारा 63 (जब कि मादक पदार्थो की मात्रा भाासन द्वारा र्निदिश्ट मात्रा से अधिक न हो), धारा 60 (3) को भी प्र मन कर समाधानित किये जाने का अधिकार है, जिसकी धनराि ा न्यूनतम 50/– रूपये अधिकतम 300/– रूपये है।

धारा 74 (1) के अन्तर्गत अनुज्ञापी के द्वारा अनुज्ञापन, पास, परमिट की भार्तो के उल्लघंन हेतु अधिकतम 5000/– रूपये प्र ामित करने का ऐसे अधिकारियों को अधिकार है, जिन्हें भाासन अधिकृत करें। यह अधिकार सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी या उससे ऊपर के अधिकारियों को प्रदान किया गया है।

10. छूट के अधिकार/दायित्व :– धारा 75 के अन्तर्गत मेडिकल प्रैक्टि नर्स, कैमिस्ट एवं ड्रगिस्ट आदि को बोनाफाइड मेडिकेटेड, आर्टिकिल्स केवल औशधालय प्रयोजनार्थ आयात, निर्माण धारण करने, बिक्री करने से आपूर्ति हेतु धारा 75 में छूट प्रदान की जा सकती है। भाासन को यह भी अधिकार है कि यदि किसी औधधि के मादकों के रूप में उपभोग की ि ाकायत प्राप्त हो तो वे ऐसी औशधि को प्रतिबन्धित भी कर सकती हैं।

11. मादक पदार्थो (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1976:– मद्यपान की सामाजिक बुराइयों वि ोशकर पिछड़े एवं गरीब तबके के लोगों, कभी आर्थिक परिस्थितियों के कारण

सर्वविदित है। संविधान की धारा–47 राज्य को यह अधिकार प्रदान करती है कि राज्य सरकारें अपने नागरिकों में मद्यपान एवं मादक वस्तुओं के उपभोग की प्रवृत्ति पर अंकु ा लगाये। इस दि ाा में मझपान, मादक द्रव्यों से सम्बन्धित विज्ञापनों पर निशेधात्मक कदम की दि ाा में यह अधिनियम 1976 से लागू किया गया है।

अधिनियम की धारा में किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी कम्पनी के द्वारा ऐसे विज्ञापन, दीवारों पर पोस्टर होलडिंग्स, सिनेमाघरों में स्लाइडों के प्रद र्ान पर जिसमें मादक वस्तुओं की बिक्री को प्रलोभित करें, करने से निशिद्ध किया गया है।

अधिनियम की धारा में आबकारी निरीक्षक से अनिम्न पद के आबकारी अधिकारियों को ऐसे स्थानों में घुसने, निरीक्षण करने, तला ाी लेने का अधिकार दिया गया है, जहां ऐसे अपराध होने के पर्याप्त एवं वि वसनीय कारण उपलब्ध है और धारा 7 में ऐसे अपराधों का अन्वेशण/विवेचना करने का भी अधिकार आबकारी निरीक्षक को दिया गया है तथा धारा 10 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों को प्र ामित कर समाधानित किये जाने का अधिकार दिया गया है।

अफीम धुम्रपान अधिनियम 1934

अफीम धुम्रपान करने वाले व्यक्तियों के पंजीयन तथा अफीम धुम्रपान को समूल समाप्त किये जाने के उद्रदे य से यह अधिकनयम 1934 लागू किया गया है।

अधिनियम की धारा 2 की क्लाज 2 मे प्रिपेयर्ड ओपियम (prepared opium) के रू॰ में चुडूं व मादक पारिभाशित है और बिना रजिस्टर्ड स्मोकर (unregistered smoker) के कोई व्यक्ति किसी भी मात्रा में (prepared opium) नहीं रख सकता है। धारा 5 कें अर्न्तगत कोई भी व्यक्ति न तो कोई ऐसी वस्तु न ही कोई ऐसा उपकरण जो इसके धुम्रपान में प्रयोग में लाया जायें नही रख सकता जब तक कि वह पंजीकृत धुम्रपानकर्ता न हों। धारा 6 में ऐसी किसी भी प्रिपेयर्ड ओपियम चंडू / मादक पदार्थ की बिक्री भी निशिद्व की गयी है। धारा 7 के अन्तर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति जो धुर्मपान के सामान बनाने के उद्उदे य से एकत्रित हो, Opium Smoking Assembly के अन्तर्गत माने जाने का प्रावधान है और धारा 8 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति ऐसी ऐसेम्बली के साथ धूम्रापान करता है जो वह ऐसी ऐसेम्बली के प्रत्येक सदस्य, ऐसे स्थान के स्वामी को अधिनियम की धारा 12,13,14,15,16, व 17 के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है।

लेकिन NDPS Act 1985 की धारा जिसके अर्न्तगत (prepared opium) के निर्माण, धारण, क्रयविक्रय, परिवहन आयात, निर्यात पूर्णतः निशिद्व है तथा धारा 17 के अन्तर्गत कठोर कारावास 20 वर्श तक जुर्माना 2 लाख रूपये तक का प्रावधान किये गये है और यह दण्ड ओपियम स्मोकिंग एक्ट के दण्ड के प्रावधानों से अधिक है अतः इस निशेधात्मक कार्यकलापो के लिये NDPS Act के प्रावधान लागू माने जायेगे।

लेकिन NDPS Act 1985 के (prepared opium) चंडू / मादक के सम्बध में ओपियम स्मोकिंग ऐसेम्बली अथवा धुम्रपान हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान के सम्बन्ध मे ओपियम स्मोकिंग एक्ट की धारा 4(1),5,7,8,12,14, एंव 15NDPS Act 1985 के प्रावधानो से अप्रभावित है। अतः इन पर ओपियम स्मोंकिंग एक्ट के प्राविधान लागू होते है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आबकारी निरीक्षक को तला ी लेने, गिरफतार करने तथा अपराधों की विवेचना के अधिकार प्रदत्त है।

भीरा नियन्त्रण अधिनियम – 1964 एवं नियमावली 1974 :

राज्य मे चीनी मिलों के उत्पादित भीरे के संचय गेडे ान व सभंरण पर जनहित में नियत्रण की दृश्टि से उक्त अधिनियम लागू है।

अधिनियम की धारा 3 अन्तर्गत भीरे के संचय, अनुरक्षण, कीमत, आपूर्ति एवं निस्तारण पर नियंत्रण की दृश्टि से राज्य समिति के गठन के प्रावधान है तथा अधिनियम की धारा 4 के अर्न्तगत भीरा नियंत्रण की नियुक्ति भाासन द्वारा की जाती है। वर्तमान में राज्य में आबकारी आयुक्त ही भीरा नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। अधिनियम की धारा 5 व 6 के अर्न्तगत प्रत्येक चीनी मिल के अध्यासी भीरे के लीकेज, मिलावट एवं अपमिश्रण को रोकने एवें भीरे के सुरक्षित भण्डारण के लिये उत्तदरयी हैं। अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत भीरा नियंत्रक की बिना पूर्व अनुमति से अपमिश्रित भीरे की निकासी निशिद्ध है। अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत भीरे के केवल बोनाफाइड इकाइयों यथा आसवानियों, कैटल फीड, फाउन्ड्रीज आदि को ही विक्रय किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत आयुक्त/ ाीरा नियंत्रक के किसी आदे ा से क्षुब्ध होकर भाासन में 30 दिन के भीतर अपील किये जाने का अधिकार प्रदत्त है। अधिनियम की धारा 10ए के अन्तर्गत चीनी मिलों के अध्यासियों के लिए बाध्यकारी प्रावधान है कि चीनी मिल भीरा संचय टेंको के अनुरक्षण, मरम्मत, निर्माण के लिए भाासन द्वारा निर्धारित दर पर भीरा निधि को संचय करेगी तथा भीरा नियंत्रक के निर्दे ाानुसार उक्त कार्यो के लिए इस निधि से धनराि ा अवमुक्त की जा सकती है। अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अधिनियम के प्रावधानों / ाीरा नियंत्रण नियमावली में दिये गये निर्दे ाों के उल्लंघन के लिए दण्ड के प्रावधान है तथा धारा 12 के अन्तर्गत किसी कम्पनी या उसके प्रत्येक सदस्य जो कम्पनी के लिए भीरा सम्बन्धी कार्यो के लिए निशपादन के लिए उत्तरदायी है और दोशी पाया जाता है, के लिए दण्ड का भागी होगा। धारा 16 के अन्तर्गत भीरा नियंत्रक भीरा सम्बन्धी अपराधों के प्र ामित करते हुए समाधानित किये जाने का अधिकार है तथा अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत भीरा नियंत्रक अपनी किसी भी भााक्ति को अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनिधित्व कर सकते है तथा अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत राज्य को इस सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार प्रदत्त है। भीरा नियंत्रक नियमावली में उक्त से सम्बन्धित नियमों को संकलित किया गया है तथा भीरा सम्बन्धी सभी आव यक विवरण पत्रों के प्रारूप निर्धारित किये गये है।

मैडीसिन एवं टॉयलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइज डियूटीज) एक्ट 1955

यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित है, इसके अन्तर्गत एल्कोहल, अफीम, भांग व अन्य नाकोटिक ड्रग्स जिनके निर्माण पर अभिकर का उदग्रहण किया जाता है, के औशधीय एवं प्रसाधन विर्निमितियों के निर्माण के सम्बन्ध में लागू होता है। इस अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत बनायी जाने वाली औशधियों/प्रसाधन सामग्रियों पर अभिकर जो एक्ट के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित अभिकर की दरों से सम्बन्धित ि ाडयूल में समय–समय पर निर्धारित दरों से अभिकरों की वसूली की जाती है। प्रदे ा में आबकारी आयुक्त इस नियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुज्ञापनों के अनुज्ञप्ति प्राधिकारी है, तथा अफीम, भांग एवं नाकोटिक्स पदार्थ युक्त

औशधियों के निर्माण एवं उन पर देय अभिकर की वसूली के प चात ही उनकी ब्रिकी की अधिकृत करने के लिए उत्तरदायी हैं।

अधिनियम की धारा के अन्तर्गत अभिकर में छूट प्रदान किये जाने का भाासन को अधिकार प्रदत्त है तथा घारा 5 के अन्तर्गत सरकार को देय अभिकर की वसूली उदग्रहणीय हैं। धारा 6 के अन्तर्गत कोई भी ऐसी औशधि/प्रसाधन विनिर्मितियां बिना अभिकर की अदायगी के निर्माण ाला से बाहर नही निकाली जा सकती तथा ऐसे अपराधों व नियमों के उल्लंघन के लिए धारा 8 में ऐसी औशधियों एवं प्रसाधन विनिर्मितियों के जब्त किये जाने के प्रावधाान है तथा आबकारी आयुक्त अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी भी आबकारी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम व उल्लंघनों को प्र ामित कर समाधान कर समाधन किये जाने के अधिकार हैं।

सम्बन्धित नियमावली में अनुज्ञापन के प्रारूप विवरण पत्रों के प्रारूप निर्धारित किये गये है, जो आबकारी मैनुअल खण्ड–4 में अवलोकनीय हैं।

द स्प्रीचुअस प्रिपरेशन कन्ट्रोल एक्ट 1955

इस अधिनियम का उददे य स्प्रीचुअस मैडीसिलन व अन्य प्रिपरे ान्स के अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के सम्बन्ध में कतिपय प्रतिबन्धों को लागू करना है। अधिनियम की धारा 2 डी में स्प्रीचुअस प्रिपरे ान्स को निम्नवृत परिभाशित किया गया है।

Sprituous preparation means:

1- Any medicinal preparation containing alcohol, whether self generated or otherwise : or
2- Any mixture of compound of wine with medicinal substances, wheather the wine is fortified with spieit or not. Or
3- Any other substance notified under section 4 to be spirituous preparation.

Section 3 of the Act provides that no person shall:

a) Import into a prohibition State may spirituous preparation : or
b) Export from any State or transport from one place to another or sell any spirituous preparations for the purpose of its importation into a prohibition state:

According this Act “Prohibition State” is the State which the Central Government may, by notification in the official Gazette specify as being in which or in any part of which the counsumption of alcoholic liquour is generally prohibited by law. The Central Govt. has

declared Uttar Pradesh as a Prohibition State and now Uttaranchal had been a part of erstwhile Uttar Pradesh so the Uttaranchal is also Prohibition State so far as this Act. is concerned.

Under Section 4] the Central Govt. by notification in the official Gazette declare any preparation containing alcohol other than a preparation referred to in sub-cause (i) or sub clause (ii) of clause (d) of Section 2 as a spritous preparation within the meaning of the Act, kf it is satisfied that contrl of inter-state trade and commerce in such preparation is necessary in the public interest.

Under section 8, the state Govt. may empower officer of the department of excise prohibition, police, revenue or public health to enter by day or by night any house, building or enclosed space or vehicle, vessel or aircraft and search it if he has reason to belive from personal knowledge of from information as given by any person and taken down in writing that any spirituous preparation in respect of which an offece has been committed is kept or concealed in that house etc. and may seize such preparation and document as evidence of the offence.

This section also provides that the State Government may empower the offices of excise or prohibition department to investigate offences under the Act and the rules made thereunder. The officers of of these department may exercise powers conferred upon officer in change of police station for investigation of cognizable offinces.

Offecers of the Excise Deparment not below the rank O an Excise Inspector have been authorized to investigate the offences under the Act (vide Section – B)

Under section 12 of the Act. The Central Government may authorize the state Govt. to make rules under Section 3 of the Act. The Central Govt. has authorisied the State Govt. of Uttar Pradesh to make rules under section 3 of the Act. Vide notification No. S.R.O. 2469, dated 29th July, 1957 accordingly, the Uttar Pradesh Government has framed rules under the above Act. Which are called "The U.P. spirituous Preparations (Inter – State Trade and Commerce) Countrol Rules, 1957". Under these rules, those spirituous preparations which are not exempted from the provisions of the Act which have been mentioned above cannot be imported into Uttar Pradesh except under a licence in From B and sold except under a licence in form F.

The said rules have been adopted in Uttaracnchal vide adaption order 2002 so the provisions in the said rules are also applicable now in Uttaranchal.

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत
मैनुअल–9

सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005 के अन्तर्गत
(अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्दे ाका)

आबकारी मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्दे ाका

क्रम सं0	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	दूरभाश संख्या
1-	आत्माराम सेमवाल	सहायक आबकारी आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी	सहायक आबकारी आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी	243712
2-	कृश्ण दयाल	आबकारी निरीक्षक	आई.जी.एल.	275315
3-	राजीव सिंह चौहान	आबकारी निरीक्षक	क्षेत्र प्रथम रूद्रपुर	9758624406
4-	संजय कुमार	आबकारी निरीक्षक	क्षेत्र –2, खटीमा	9758201837
5-	अशोक मिश्रा	आबकारी निरीक्षक	क्षेत्र–3, का ीपुर	9758709107
6-	दीपाली भााह	आबकारी निरीक्षक	क्षेत्र–4, बाजपुर	9411193077
7-	भाक्ति सिंह	आबकारी निरीक्षक	चेक पोस्ट महे ापुरा	94120989053
8-	सुनील भार्मा	आबकारी निरीक्षक	बजपुर आसवनी	9411348010
9-	भा ा कुमार	उप आबकारी निरीक्षक	चीनी मिल बाजपुर	9812554887
10-	प्रतिमन सिंह	उप आबकारी निरीक्षक	चीनी मिल, सितारगंज	9412383453
11-	कैला ा चन्द्र, बिन्जोला	उप आबकारी निरीक्षक	चीनी मिल, नादेही	9411123917
12-	महेन्द्र सिंह बिश्ट	उप आबकारी निरीक्षक	चीनी मिल, का ीपुर	9927006071
13-	देवेन्द्र सिंह विश्ट	उप आबकारी निरीक्षक	चीनी मिल, किच्छा	9412136028
14-	हीरा बल्लभ	उप आबकारी निरीक्षक	चीनी मिल, गदरपुर	9411135197
15-	अन्जनी कुमार पाण्डेय	उप आबकारी निरीक्षक	चीनी मिल, नादेही	
16-	जीवन सिंह राणा	उप आबकारी निरीक्षक	क्षेत्र प्रथम–रूद्रपुर	
17-	भुवन चन्द्र डूंगरियाल	उप आबकारी निरीक्षक	क्षेत्र प्रथम–रूद्रपुर	
18-	गोपाल राम आर्य	लिपिक	कार्या. स.आ.आयुक्त	243712
19-	राहिबा इकबाल	लिपिक	बाजपुर आसवनी, बाजपुर	281276
20-	भांकर सिंह नगी	प्रधान आबकारी सिपाही	चेक पोस्ट, रूद्रपुर	
21-	दीवान सिंह राणा	प्रधान आबकारी सिपाही	चेक पोस्ट, महे ापुरा	

22-	बंशीधर पाण्डेय	सिपाही	चीनी मिल, किच्छा	
23-	मदन सिंह	आबकारी सिपाही	क्षेत्र–3, खटीमा	
24-	शिवलाल भुक्ला	आबकारी सिपाही	क्षेत्र–3, खटीमा	
25-	प्रतिपाल सिंह	आबकारी सिपाही	क्षेत्र–3, खटीमा	
26-	रवीन्द्र कुमार सिंह	आबकारी सिपाही	क्षेत्र–1, रूद्रपुर	
27-	महेश सिंह राणा	आबकारी सिपाही	क्षेत्र–1, रूद्रपुर	
28-	महेन्द्र सिंह राणा	आबकारी सिपाही	क्षेत्र–3, खटीमा	
29-	चांद सिंह	आबकारी सिपाही	क्षेत्र–3, खटीमा	
30-	कैला ा चन्द्र जो ी	आबकारी सिपाही	क्षेत्र–1, रूद्रपुर	
31-	संजय कुमार	आबकारी सिपाही	चैक पोस्ट, सुतैया	
32-	प्रदीप कुमार आर्य	आबकारी सिपाही	क्षेत्र–1, रूद्रपुर	
33-	माधोराम	आबकारी सिपाही	चैक पोस्ट, मझौला	
34-	लाल सिंह राणा	आबकारी सिपाही	चैक पोस्ट, भााहगंज	
35-	गिरधर सिंह	अनुसेवक	का. आ.आ., ऊ.सि.न.	
36-	मनोज कुमार	अनुसेवक	का. आ.आ., ऊ.सि.न.	
37-	दिगम्बर दत्त जो ी	वाहन चालक संविदा	का. आ.आ., ऊ.सि.न.	
38-	कुलदीप सिंह	संविदा आबकारी सिपाही	चैक पोस्ट, सुतैया	
39-	भयाम सिंह	संविदा आबकारी सिपाही	चैक पोस्ट, सुतैया	
40-	गिरी ा चन्द्र	संविदा आबकारी सिपाही	चैक पोस्ट, महे ापुरा	
41-	कृश्ण बहादुर राणा	संविदा आबकारी सिपाही	चैक पोस्ट, मझौला	

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत

मैनुअल–10

अपने प्रत्येक अधिकार और कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति

क्रम सं0	कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	कुल वेतन (रूपये)
1-	आत्माराम सेमवाल	सहायक आबकारी आयुक्त	8000-13500	15665.00
2-	कृश्ण दयाल	आबकारी निरीक्षक	5000-8000	12828.00
3-	राजीव सिंह चौहान	आबकारी निरीक्षक	5000-8000	10059.00
4-	संजय कुमार	आबकारी निरीक्षक	5000-8000	9944.00
5-	अशोक मिश्रा	आबकारी निरीक्षक	5000-8000	9944.00
6-	दीपाली भााह	आबकारी निरीक्षक	5000-8000	9944.00
7-	भाक्ति सिंह	आबकारी निरीक्षक	5000-8000	9944.00
8-	सुनील भार्मा	आबकारी निरीक्षक	5000-8000	9719.00
9-	भाि ा कुमार	उप आबकारी निरीक्षक	3200-4900	8572.00
10-	प्रतिमन सिंह	उप आबकारी निरीक्षक	3200-4900	6201.00
11-	कैला ा चन्द्र, बिन्जोला	उप आबकारी निरीक्षक	3200-4900	6201.00
12-	महेन्द्र सिंह बिश्ट	उप आबकारी निरीक्षक	3200-4900	6201.00
13-	देवेन्द्र सिंह विश्ट	उप आबकारी निरीक्षक	3200-4900	6201.00
14-	हीरा बल्लभ	उप आबकारी निरीक्षक	3200-4900	8948.00
15-	अन्जनी कुमार पाण्डेय	उप आबकारी निरीक्षक	3200-4900	8158.00
16-	जीवन सिंह राणा	उप आबकारी निरीक्षक	3200-4900	8917.00
17-	भुवन चन्द्र डूंगरियाल	उप आबकारी निरीक्षक	3200-4900	8443.00
18-	गोपाल राम आर्य	लिपिक	3050-4590	8774.00
19-	राहिबा इकबाल	लिपिक	3050-4590	7414.00
20-	भांकर सिंह नगी	प्रधान आबकारी सिपाही	3050-4590	7669.00
21-	दीवान सिंह राणा	प्रधान आबकारी सिपाही	3050-4590	अप्राप्त
22-	बंशीधर पाण्डेय	सिपाही	3200-4900	8790.00
23-	मदन सिंह	आबकारी सिपाही	3200-4900	8857.00

24-	शिवलाल भाुक्ला	आबकारी सिपाही	3050-4590	8431.00
25-	प्रतिपाल सिंह	आबकारी सिपाही	3050-4590	8431.00
26-	रवीन्द्र कुमार सिंह	आबकारी सिपाही	3050-4590	7309.00
27-	महेश सिंह राणा	आबकारी सिपाही	2750-4400	7178.00
28-	महेन्द्र सिंह राणा	आबकारी सिपाही	2750-4400	7098.00
29-	चांद सिंह	आबकारी सिपाही	2750-4400	7098.00
30-	कैला ा चन्द्र जो ी	आबकारी सिपाही	2750-4400	6447.00
31-	संजय कुमार	आबकारी सिपाही	2750-4400	6447.00
32-	प्रदीप कुमार आर्य	आबकारी सिपाही	3200-4900	5938.00
33-	माधोराम	आबकारी सिपाही	अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र अप्राप्त	
34-	लाल सिंह राणा	आबकारी सिपाही	2750-4400	6447.00
35-	गिरधर सिंह	अनुसेवक	2550-3200	5464.00
36-	मनोज कुमार	टनुसेवक	2550-3200	5003.00
संविदा पर नियुक्त कर्मचारी				
37-	दिगम्बर दत्त जो ी	वाहन चालक संविदा		5400.00
38-	कुलदीप सिंह	संविदा आबकारी सिपाही		4700.00
39-	भयाम सिंह	संविदा आबकारी सिपाही		4700.00
40-	गिरी ा चन्द्र	संविदा आबकारी सिपाही		4700.00
41-	कृशण बहादुर राणा	संविदा आबकारी सिपाही		4700.00

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत
मैनुअल–11

प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आंवटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)

(The Budget allocated to each of its agency indicatidg to this particulars of all the plants proposed expenditures and reports on disbursement made)

वित्तीय वर्ष 2006–2007 के लेखानुदान में बजट आवंटन

अनुदान सख्या – 8
लेखा ीर्शक– 2039 राज्य उत्पाद भुल्क

001 निदे ान तथा प्र ाासन

003 अधिश्ठान

तथा

04 भट्टियां (जनपदीय कार्यालय)

आबकारी विभाग के अन्तर्गत योजनान्तर्गत मद में कोई योजना या सब्सिडी कार्यक्रम संचालित नही है। अतः योजनागत मद में विभाग को वर्श 2006–2007 के लेखानुदान में कोई धनराि ा आवंटित नही हैं।

आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत (माह अप्रैल, 2006 से माह सितम्बर, 2006 तक कुल आंवटित धनराि ा रूपये 41,88,000.00 है।

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत

मैनुअल–12

अनुदान राज सहायता कार्यक्रमों (Subsidy Programme) के क्रियान्तयन की रीति, जिसमें आवंटित रा ि ा और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है।

The manner of execution of subsidy programme including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programme.

सामान्य प्र ाासन का एवं आयोजनेत्तर पक्ष का विभागाध्यक्ष होने के कारण किसी राज्य सहायता या लाभान्वित परिवार/व्यक्ति की योजना संचालित नही जाती।

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत
मैनुअल–13

रियायतो अनुज्ञापनो तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण।

(Particulars of receipients of concessions, permits or authorizations grated only)

आबकारी विभाग में मुख्यतः सैनिकों/आई0टी0बी0पी0 के अधिकारियों कर्मचारियों को दी जाने वाली विदेशी मदिरा पर अभिकर में विशे ा रियासतें की गयी हैः–

1. सेना/आई0टी0बी0पी के जवानों जो अन्तर्रा टीय बाडर पर अति ऊचाई वाले स्थानों (High Altitude Areas) में तैनात है। ऐसे आर्मी के जवानो को 180180 बी0एल0 वार्शिक तथा आई0टी0बी0पी0 के जवानो को 41168 बी0एल0 की सीमा तक अभिकर में पूर्ण छूट प्रदान की जाती है। भाासननादे ा संख्या 27/आबकारी/2002 दिनाक 14.2.2002)
2. सेना/आई0टी0बी0पी के जवानो को दी जाने वाली रम पर सामान्य अभिकर रू0 55/– ए0एल0 के स्थान पर रूप्ये 45/– ए0एल0 की दर से अभिकर वसूला जाता है। इस प्रकार सेना/आई0टी0बी0पी0 के जवानों, का रूप्ये 10/– प्रति की विशे ा छूट प्रदान की जाती है।
3. भारतीय से की रेजीमेन्ट, यूनिटों को उनके सेंटनरी, स्वर्ण जयन्ती, रजत जयन्ती 50व ीय, 25 व ीय, 5 व ीय स्थापना दिवसों को होने वाले विशे ा समारोो पर अभिकर में विशे ाछूट प्रदान की जाती है। वर्श 2005–06 में भाासनादे ा 1752/XXIII/04/51/VIP/2002 दिनांक 25.11.2004 के द्वारा यह छूट निम्नानुसार निर्धारित की गयी है।

(क)	50 वर्श में एक बार मनाये जाने वाले समारोह जैसे स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर	मांग का 60 प्रति ात छूट
(ख)	25 वर्श में एक बार मनाये जाने वाले समारोह जैसे रजत जयन्ती के अवसर पर	मांग का 30 प्रति ात की छूट
(ग)	5 वर्श एक बार मनाये जाने वाले समारोह जैसे पंचवर्शीय रि–यूननियन के अवसर पर	मांग का 20 प्रति ात की छूट
(घ)	02 वर्श में एक बार मनाये जाने वाले समारोह जैसे द्विवार्शिक रि यूनियन के अवसर पर	मंग का 15 प्रति ात की छूट
(ड़)	वर्शिक सैन्य समारोह	कोई छूट प्रदान नही की जोयगी

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत

मैनुअल–14

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

(The norms set by it for discharging of its fuctions)

आबकारी विभाग के सर्वोच्च अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष आयुक्त है। आबकारी आयुक्त की यहायतार्थ मुख्यालय में विभिन्न अधिकारी एवं स्टाफ नियुक्त है तथा ाासन की नीतियों के कियान्यवयन हेतु मुक्ष्सयालय के साथ साथ फील्ड स्तर पर जिलाधिकारी के अधीन रहते हुए प्रत्येक जनपद में सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आकारी अध्किारी नियुक्त किये गये हैं प्रत्येक जनपद में विभागीय प्रशासन को सुचारू रूप् से संचाल हेतु आबकारी निरीक्षक एवं स्टाफ लिपिक,उप आबकारी निरीक्षक, प्रधान आबकारी सिपाही व आबकारी सिपही संख्या जैसा कि आयुक्त आवश्यक समझे उपलब्ध कराये जाते है। वर्तमान में निम्न स्थानों पर आबकारी निरीक्षक नियुक्त किये गये है।

1) अपराध निरोधक क्षे़त्र में:– प्रत्येक जनपद को उसके आवश्यकतानुसार राजस्व अर्जन, आबकारी अपराध एवं आबकारी दुकानों अनुज्ञापनों को दृश्टिगत रखते हुए एक या उससे अधिक अपराध निरोधन क्षेत्रो में विभाजित किया गया है। ऐसे अपराध निरोधक क्षेत्र के प्रभारी आबकारी निरीचक होते है। और उनकी सहायातार्थ नियत संख्या में हैड कास्टेबुल उपलब्ध कराये जाते है। वर्तमान में अपराध निरोधक क्षेत्रो की संख्या 40 है।
2) आसवानियों में – प्रत्येक आसवनी में, आबकारी आयुक्त जितनी संख्या में उपयुक्त समझे, आबकारी निरीक्षकों लिपिको एवं आबकारी सिपाहियों को नियुक्त कर सकते है। वर्तमान में जनपद में 2 आसवानी में स्थित है। आसवनी में एक आबकारी निरीक्षक व एक आबकारी सिपाही की नियुक्ति है।
3) विदे ाी मदिरा बंधित निर्माण ाालाः– जनपद में केवल एक अनुज्ञापन स्वीकृत है, जिसमें आबकारी निरीक्षक प्रभारी अधिकारी के रूप में हैं। (अतिरिक्त प्रभार)
4) विदे ाी मदिरा थोक अनुज्ञापन में :– जनपद में क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा ही अतिरिक्त रूप से कार्य सम्पादित किये जा रहें है।
5) प्रौहिबी ान सर्किल (मद्यनिशेध क्षेत्रों में) :– राज्य में ऐसे कई मद्यनिशेद्य क्षेत्र कार्यरत नही है। सामान्यतः आंि ाक रूप् से ही मद्यनिशेध क्षेत्र हैं जो अपराध निरोधक क्षेत्र के निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में है।

6) चैकपोस्ट :— जनपद में वर्तमान में अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित 05 चैकपोस्ट स्थापित है और वर्तमान में ये चैकपोस्ट भी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के र्प्यवेक्षणाधीन हैं, क्योंकि आबकारी निरीक्ष उपलब्ध नही हैं।

7) चीनी मिलों में :— भीरा नियंत्रण अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत भीरे के उत्पादन, संचय व सम्भरण एवं सम्भरण से प्राप्त होने वाले राजस्व पर नियंत्रण हेतु उप आबकारी निरीक्ष्ज्ञक नियुक्त किये जाते है और इनकी सहायतार्थ आबकारी सिपाही नियुक्त किये जाते है। वर्तमान में जनपद में 6 चीनी मिलें है।

अनुज्ञापन का निरीक्षण/नियंत्रण सम्बन्धी मानकम

1. आबकारी निरीक्षकों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत आबकारी अनुज्ञापनों के निर्धारित मानकों के अनुसार निरीक्षक किये जाते है, तथा अनुज्ञापियों के कार्यकलापों, आचरण पर नियंत्रण रखा जाता है, अनियमिततायें पाये जाने पर जनपद के जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त को अवगत कराते हुए सक्षम प्राधिकारी को निर्णयार्थ किया जाता है।
2. जनपद में सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वयं भी आयुक्त द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एवं आकस्मिक रूप में इन अनुज्ञापनों एवं आबकारी निरीक्षकों, उप आबकारी निरीक्षकों के कार्यो का निरीक्षण किये जाते हैं और उनके द्वारा निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों/अनुज्ञापियों पर नियंत्रण रखा जाता है।

जनपद स्तर पर निरीक्षणों के मानकम, विवरण पत्रों के प्रारूप निर्धारित किये जाते है, जो आबकारी नियमावलियों में निरूपित हैं एवं अवलोकनीय है।

विवरण पत्र — सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण :

उपरोक्तानुसार सभी इकाईयों/अनुज्ञापनों से उनमें सम्पादित कार्यो अपराध निरोधक क्षेत्रों से अपराध भामन कार्यो, राजस्व अर्जन, मादकों के उपभोग, अपराधों के अभियोजन आदि तथा आसवनियों से भीरा—प्राप्ति/उपभोग उल्कोहल उत्पादन, बिक्री, चीनी मिलों में भीरा उत्पादन/संचय/समरण ब्रिवरीज, विदे ाी मदिरा निर्माण ाालाओं में बियरएल्कोहल की प्राप्ति एवं विदे ाी मदिरा निर्माण बंधित दे ाी भाराब गोदाम व भांग संचय केन्द्र से निर्धारित प्रारूपों में पाक्षिक/मासिक विवरण पत्र जैसा कि आयुक्त/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये है, आबकारी अधिकारी को प्रेशित करते हैं।

सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अपने जनपद के उपरोक्तानुसार समस्त विवरण – पत्रों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूपों में संकलित कर आबकारी आयुक्त के मुख्यालय में प्रेशित किये जाते है। आयुक्तालय में इन विवरण पत्रों की अनुभागवार समीक्षा की जाती है और विभागाध्यक्ष को अपराध ामन, राजस्व अर्जन, मादकों के उपभोग, भाीरा उत्पादन, संचय, समरण, एल्कोहल उत्पादन, उपभोग आदि से तथा विभागय बजट आंबटन, उपभोग एवं आव यकता की समीक्षा की जाती है।

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत
मैनुअल–15

इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसकी उपलब्ध हों या उसके द्वारा बाधित हों।

(Details in respect of the information available to or held by if reduced is electronic)

वर्तमान में जिला स्तर से मासिक प्रतिवेदनों, विवरण पत्रों, सूचनाओं आदि को स्वयं ही तैयार कर मुख्यालय में उपलब्ध कराया जाता रहा है और इन सूचनाओं विवरण पत्रों प्रतिवदेनों को मुख्यालय में संकलित किया जाता है। मुख्यालय में कम्प्यूटर उपलब्ध है और प्रदे ा के देहरादून हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल व पौड़ी जनपदों में भी कम्प्यूटर जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराये गये हैं।

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत
मैनुअल–16

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की वि ाश्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है।

(The particulars of the facilites available to citizens for obtaining informations including the working hours of library or reading room if maintained for the public use)

किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय अवधि में किसी भी समय आबकारी मुख्यालय/जनपद स्तर पर उपलब्ध अधिकारियों से आयुक्तालय (मुख्यालय)/जनपद स्तर से सम्बन्धित ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है, जो उस व्यक्ति या संगठन से सम्बघित हैं।

आबकारी विभाग, ऊधम सिंह नगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत

मैनुअल–17

(Such other informations may be rrescribed)

वर्तमान में विभागीय मुख्यालय हेतु जो भी कार्य दिये गये हैं, उसका विस्तृत विवरण 1 से 16 मैनुअलों में विभिन्न स्वरूपों में दिया गया है। यदि उक्त से भिन्न अन्य कोई सूचना वांछित होती है एवं ऐसी सूचना निदे ाालय में उपलब्ध है तो उसे भी सूचीबद्ध कराया जायेगा।